मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 12 सन् 1970
मध्यप्रदेश निराश्रितों[1] एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970

धाराएँ :

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
2. परिभाषाएँ।
3. स्थानीय प्राधिकारी, निराश्रितों को सहायता देगा।
4. मंडी समिति स्थानीय प्राधिकारी को सहायता देगी।
5. स्थानीय प्राधिकारी कतिपय मामलों में कृषि उपज का संग्रहण करेगा।
[2]5क. अवसर जब कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन संग्रहण किया जायेगा।
[2]5ख. धारा 4 या धारा 5 के अधीन संग्रहण वस्तु के रूप में या नगदी के रूप में किया जा सकेगा।
[3]5 ग. विनिर्दिष्ट कृषि उपज के पश्चात परिवहन पर निर्बन्धन।
6. स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय क्षेत्र में खैरात के संग्रहण का आयोजन करेगा।
7. स्थानीय प्राधिकारी की उपकर अधिरोपित करने की शक्ति।
8. उपकर के आगम का तथा अन्य संग्रहणों का अधिनियम के प्रयोजन पर व्यय किया जायेगा।
[3]8 क. शास्ति।
9. नियम।
10. कतिपय एक्टों का संशोधन।
11. निरसन।

---

[3] मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1972) द्वारा अन्तःस्थापित।

[1] मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 58 सन् 1976) द्वारा अन्तः स्थापित।

[2] मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम 1977, (क्रमांक 15 सन् 1977) द्वारा संशोधित/अन्तः स्थापित।

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 12 सन् 1970

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970

[दिनांक 5 फरवरी, 1970 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 13 फ 1970 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

स्थानीय प्राधिकारियों को इस बात के लिये बाध्य बनाकर कि वे निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों को सहायता दें, "स्थानी प्राधिकारियों के लिये यह आवाह कर, बनाकर कि वे निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों को सहायता दे और उनके लिये आश्रमों की स्थाप तथा उनका अनुरक्षण करें, निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिये तथा उससे संयुक्त विषयों के लिये उपबंध करने हे अधिनियम।" निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने के लिये तथा उससे संयुक्त विषयों के लिये उपबंध करने के हे अधिनियम।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाये:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ : (1) यह अधिनियम, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवम् निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह धारा तथा धारा 9, 10 और 11 तुरन्त प्रवृत्त होंगी और शेष उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें, तथा भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. **परिभाषायें** : इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'निराश्रित' से अभिप्रेत है :

(एक) वे वृद्ध तथा शिथिलांग व्यक्ति, या

(दो) वे अंधे, या बहरे तथा गूंगे, या अन्यथा निःशक्त हुये (डिसेबल्ड) व्यक्ति,

जो किसी स्थानीय क्षेत्र में निवास विषयक अपेक्षा को सम्मिलित करते हुये, ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों, जो कि विहित की जाये.

(क-एक) 'निर्धन व्यक्ति' से अभिप्रेत है :

(एक) ऐसे स्थानीय प्राधिकारी कि जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे. सीमाओं के भीतर समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाले; और

(दो) प्रतिमास एक सौ रुपये या उससे कम आय वाले :

किसी कुटुम्ब का कोई सदस्य।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिये 'कुटुम्ब' से अभिप्रेत पति, पत्नी तथा उनके अवयस्क बच्चे, यदि कोई हों;

(ख) 'स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि' से अभिप्रेत है :

[मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 58, सन् 1976) इस अधिनियम द्वारा स्थापित।) को दिनांक 7 अक्टूबर 1976 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 18 अक्टूबर 1976 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1972) द्वारा स्थापित।

(इस अधिनियम को दिनांक 21 अप्रैल, 1972 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24 अप्रैल, 1972 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

(एक) नगरपालिका निगम के मामले में, मध्यप्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956),

(दो) नगरपालिका परिषद् या अधिसूचित क्षेत्र समिति के मामले में, मध्यप्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(तीन) ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत के मामले में, मध्यप्रदेश पंचायत एक्ट, 1962 (क्रमांक 7 सन् 1962);

(ग) 'स्थानीय क्षेत्र' से अभिप्रेत है, किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र;

(घ) 'स्थानीय प्राधिकारी' से अभिप्रेत है यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, अधिसूचित क्षेत्र समिति, ग्राम पंचायत या आदिवासी पंचायत, जो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अधीन गठित की गई हो या गठित की गई समझी गई हो:

[1](ङ) 'मंडी क्षेत्र' का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) में दिया गया है;

[1](च) 'विनिर्दिष्ट कृषि उपज' से किसी मण्डी क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत वह कृषि उपज जो यथास्थिति धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के या 5 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो;

[1](छ) 'विनिर्दिष्ट दर' से, किसी विनिर्दिष्ट कृषि उपज के संबंध में अभिप्रेत है वह दर जो यथास्थिति धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के या धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो।

3. स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी स्थानीय प्राधिकारी का बाध्यकर कर्त्तव्य यह होगा कि वह :

(क) निराश्रितों को खाना खिलाने;

(ख) निराश्रितों की देखरेख; और

(ग) पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिये सेवा के अनुरक्षण तथा प्रबंध के लिये यथायोग्य व्यवस्था करें।

[2](घ) (एक) गम्भीर तथा आपाती मामलों में किसी निर्धन व्यक्ति के लिये चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के लिये; या

(दो) किसी निर्धन व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का दाह संस्कार करने के लिये; या

(तीन) किसी निर्धन व्यक्ति के फायदे हेतु किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिये जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये,

ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये, जो कि विहित की जाय, उधार मंजूर करना।

4. मंडी समिति स्थानीय प्राधिकारी को सहायता देगी : (1) मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उक्त अधिनियम के अधीन गठित की गई कोई भी मण्डी समिति :

(एक) सम्बन्धित मण्डी समिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन पर उपगत किये गये व्यय के प्रति ऐसे अनुपात में, जैसा कि विहित किया जाये, प्रतिवर्ष अभिदाय करेगी।

(दो) मण्डी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज के क्रेताओं से :

(क) ऐसी कृषि उपच का;

(ख) पाँच सौ ग्राम प्रति क्विंटल से अनधिक ऐसी दर से जिसे कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

संग्रहण करेगी।

---

[1] मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1979 द्वारा अन्तःस्थापित।

[2] मध्यप्रदेश निराश्रितों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा स्थापित।